राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

(35) 4427

क्रमांक:एफ.4(~~75~~)[illegible]/विधि/पंरा/2019/1412 जयपुर, दिनांक: 16.08.2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।

विषय :– पुराने पट्टों के पुनर्विधिमान्यकरण (Revalidation) किये जाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में नया नियम–167क जोड़ा जाकर पंचायत द्वारा जारी किये गए विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण (Revalidation) किये जाने का प्रावधान किया जा चुका है । इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पट्टे का पुनर्विधिमान्यकरण ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकार्ड से मिलान कर पट्टा नियमानुसार जारी होने की स्थिति में तथा पट्टाधारक स्वयं या उसके वारिसान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जाये ।

पट्टे का पुनर्विधिमान्यकरण (Revalidation) मूल पट्टे पर ही निम्नलिखित प्रारूप में किया जाये:– "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–167क के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक........ प्रस्ताव सं0......की पालना में आज दिनांक...... को पुनर्विधिमान्यकरण किया जाता है ।

हस्ताक्षर ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...........

हस्ताक्षर सरपंच
ग्राम पंचायत...........

उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावें ।

16/8

(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
3. एसीपी कम उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

16/8/2019

संयुक्त शासन सचिव (विधि)

Scanned by CamScanner